

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना, बिहार।

पटना, दिनांक-07/09/18

**विषय:-** सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के 05 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश की राशि के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹110.18 लाख Other than SC and ST घटक में, ₹136.80 लाख SC घटक में एवं ₹5.40 लाख ST घटक में अर्थात् कुल राशि ₹252.38 लाख (दो करोड़ बावन लाख अड़तीस हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी की स्वीकृति।

**आदेश-** स्वीकृत।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सबके लिए आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक-17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक-N-11011/32/2018-HFA-III/HFA-V-UD (Comp. No 90340332) दिनांक-07.08.2018 द्वारा राज्य के 05 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु Other than SC and ST घटक में विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹1869.60 लाख, SC घटक में ₹410.40 लाख एवं ST घटक में ₹16.20 लाख अर्थात् कुल राशि ₹2296.20 लाख केन्द्रांश विमुक्त की गयी है। अनुपातिक राज्यांश की राशि की निकासी की जानी है। तदनुसार बजट उपबंध के अभाव में 05 नगर निकायों में योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ-07 में अंकित ₹110.18 लाख Other than SC and ST घटक में, स्तम्भ 08 में अंकित ₹136.80 लाख SC घटक में एवं स्तम्भ-09 में अंकित ₹5.40 लाख ST घटक में अर्थात् कुल राशि ₹252.38 लाख (दो करोड़ बावन लाख अड़तीस हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी की स्वीकृति निम्न सारणी के अनुरूप प्रदान की जाती है। बजट उपबंध प्राप्त होने पर Other than SC and ST घटक में शेष राशि 513.02 लाख रू0की निकासी की जायेगी।

(राशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	नगर निकाय/परियोजना का नाम	स्वीकृत आवासीय इकाई की सं०	Other than SC & ST मद में विमुक्त केन्द्रांश की राशि	SC मद में विमुक्त केन्द्रांश की राशि	ST मद में विमुक्त केन्द्रांश की राशि	Other than SC & ST मद में विमुक्त अनुपातिक राज्यांश की राशि	SC मद में विमुक्त अनुपातिक राज्यांश की राशि	ST मद में विमुक्त अनुपातिक राज्यांश की राशि
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1	बनमनखी फेज-IV	1937	896.40	96.60	1.80	110.18	32.20	0.60
2	भागलपुर फेज-II	478	133.20	36.00	12.00	0.00	12.00	4.00
3	दिघवारा फेज-II	744	168.00	58.20	2.40	0.00	19.40	0.80
4	झाझा फेज-III	448	174.00	36.00	9.00	0.00	12.00	0.00
5	महुआ फेज-II	1474	498.00	183.60	0.00	0.00	61.20	0.00
	कुल	5081	1869.60	410.40	16.20	110.18	136.80	5.40

2. स्वीकृत राशि राशि ₹252.38 लाख (दो करोड़ बावन लाख अड़तीस हजार रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार संबंधित नगर निकायों को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक- 28.06.16 एवं पत्रांक-354 दिनांक-28.03.2018 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. (i) स्वीकृत राशि ₹252.38 लाख (दो करोड़ बावन लाख अड़तीस हजार रू0 मात्र) में से ₹136.80 लाख रू0 (एक करोड़ छत्तीस लाख अस्सी हजार रू0 मात्र) माँग/विनियोग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0305- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217037890305, पी0एफ0एम0एस0 कोड-1989, विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान-0305.31.05-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित अवशेष राशि 2545.93 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

(ii) स्वीकृत राशि ₹252.38 लाख (दो करोड़ बावन लाख अड़तीस हजार रू0 मात्र) में से ₹110.18 लाख (चार करोड़ तईस लाख बीस हजार रू0 मात्र) माँग/विनियोग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-051, निर्माण, उप शीर्ष-0303- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217030510303, पी0एफ0एम0एस0 कोड-1989, विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान-0303.31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित अवशेष राशि 110.18 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

(iii) स्वीकृत राशि ₹252.38 लाख (दो करोड़ बावन लाख अड़तीस हजार रू0 मात्र) में से ₹5.40 लाख (पाँच लाख चालीस हजार रू0 मात्र) माँग/विनियोग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उप - योजना, उप शीर्ष - 0303- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड - 48-2217037960303,

पी0एफ0एम0एस0 कोड-1989, विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान-0303.31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित अवशेष राशि 30.60 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक-378 दिनांक-16.01.2018 के आलोक में सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को अवश्य भेजा जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ0-101/टि0 पर दिनांक-05.09.2018 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0-101/टि0 पर दिनांक-04.09.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

05-09-18

सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016

57

दिनांक-07/09/18

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05-09-18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016

57

दिनांक-07/09/18

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/संबंधित नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05-09-18

सरकार के विशेष सचिव।

R. Khan